

राजस्थान सरकार  
वित्त (आय-व्ययक) विभाग

आय-व्ययक महत्त्वपूर्ण

समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करावें।

क्रमांक :प.4(19)वित्त-1(1)आ.व्य./2024

जयपुर, दिनांक : 11-12-2024

**बजट प्रक्रिया, प्रबन्धन एवं उपयोग संबंधी अतिरिक्त परिपत्र**  
**(Additional Circular regarding Budget Preparation, Management & Uses)**

राज्य सरकार के बजट, वित्तीय प्रबन्धन व लेखांकन को पारदर्शी, सुदृढ़ व उपादेय बनाये जाने हेतु सतत् प्रयास एवं विहित प्रक्रियाओं की पालना करते हुए सिस्टम आधारित व्यवस्था प्रस्थापित किए जाने हेतु बजट अनुमानों, प्रबन्धन एवं उपयोग के लिए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.08.2024 से जारी किये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निम्नांकित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने वाले "आउटपुट बजट एवं आउटकम बजट" (Output Budget and Outcome Budget) में विभिन्न योजनाओं से होने वाले वास्तविक लाभ/उपादेयता का परिमाणात्मक रूप (Quantifiable terms) में प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रारूप में संशोधन किया जाकर परिशिष्ट 'अ' में दिये गये प्रारूप में सूचना संकलित की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष (जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाना है) के लिए योजनावार बजट एवं भौतिक उपलब्धियों के अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की वास्तविक उपलब्धि अंकित की जानी होगी। अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने वाले आउटपुट बजट एवं आउटकम बजट दस्तावेज हेतु वर्ष 2023-24 का वास्तविक उपलब्धियों (Actuals) का विवरण तथा वर्ष 2025-26 के लिए अनुमान तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आयोजना विभाग पूर्ववत नोडल विभाग रहेगा।

उक्त प्रारूप में सूचना soft copy में 'docx' format में e-mail [direvaluation@rajasthan.gov.in](mailto:direvaluation@rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध करानी होगी। साथ ही आगामी वर्ष से

आउटपुट-आउटकम बजट के लिए वांछित सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु आयोजना विभाग द्वारा पृथक से Portal विकसित किया जाएगा।

समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा आयोजना विभाग को संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ तैयार कर दिनांक 31.12.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस क्रम में किसी भी clarification के लिये निम्न नोडल अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र.सं.	नाम	मोबाईल	ई-मेल
1	श्री सोहन लाल धानका, संयुक्त निदेशक, आयोजना (मूल्यांकन) विभाग	9929056369	jdu1evaluation@rajasthan.gov.in
2	श्री फूल चन्द यादव, सलाहकार, वित्त (बजट) विभाग	9929156447	fdbudget@rajasthan.gov.in

(देबाश्रीष पृष्ठी)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक :प.4(19)वित्त-1(1)आ.व्य./2024

जयपुर, दिनांक :


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- (1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
- (2) विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया
- (3) विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय,
- (4) विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण
- (5) संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
- (6) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा), राजस्थान
- (7) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- (8) शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग

- (9) शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
- (10) प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में सूचना तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने एवं आउटपुट-आउटकम बजट तैयार कर नियत समय पर विधानसभा में प्रस्तुत कराने का श्रम करावें।
- (11) समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
- (12) निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कोष एवं लेखा
- (13) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)
- (14) संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1, 2, 3, 4, 5) विभाग
- (15) वरिष्ठ निदेशक (IT), NIC (IFMS)
- (16) तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, को वित्त विभाग की Website पर Upload करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

- (1) शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय
- (2) प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा
- (3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
- (4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- (5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।

  
(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक, वित्त (बजट)

[ 08 / 2024 ]

